



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27312-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - **2657/2026**

मंजू देवी

.....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता: जी.ए., संदीप कुमार शर्मा

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता:

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान रिट याचिका याची द्वारा निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-

(i). एक रिट आदेश या परमादेश की प्रकृति में निर्देश जारी करना जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को थाना पहासू, जनपद बुलंदशहर में भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) 2023 की धारा 103(1), 351(2), 352 के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 0363/2025, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दिनांक 18.10.2025 (रिट याचिका का अनुलग्नक संख्या 1) के संबंध में निष्पक्ष विवेचना करने हेतु निर्देशित किया जाए।

(ii). एक रिट आदेश या परमादेश की प्रकृति में निर्देश जारी करना जिसके द्वारा प्रत्यर्थीगण को उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के आरोपी व्यक्तियों को तत्काल गिरफ्तार करने हेतु आदेशित किया जाए।

(iii). एक रिट आदेश या परमादेश की प्रकृति में निर्देश जारी करना जिसके द्वारा प्रत्यर्थी को वर्तमान मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष विवेचना करने हेतु निर्देशित किया जाए और यह माननीय न्यायालय न्याय सुनिश्चित करने के लिए विवेचना की निगरानी (मॉनिटरिंग) करने की कृपा करे।

(iv). कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(v). याचीगण को रिट याचिका का खर्च प्रदान करना।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याची वर्तमान मामले में प्रथम सूचनाकर्ता है और यद्यपि वर्तमान मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) 18.10.2025 को दर्ज की गई है, फिर भी पुलिस निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से मामले की विवेचना नहीं कर रही है।
4. उपरोक्त के दृष्टिगत, याची अपनी शिकायत को रेखांकित करते हुए और निष्पक्ष एवं तटस्थ विवेचना की मांग करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एस.एस.पी.), बुलंदशहर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर सकती है और यदि याची द्वारा ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर वर्तमान मामले में निष्पक्ष, तटस्थ और त्वरित विवेचना सुनिश्चित करेंगे।
5. उपर्युक्त आदेश के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

5 फरवरी, 2026

के.एस.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"